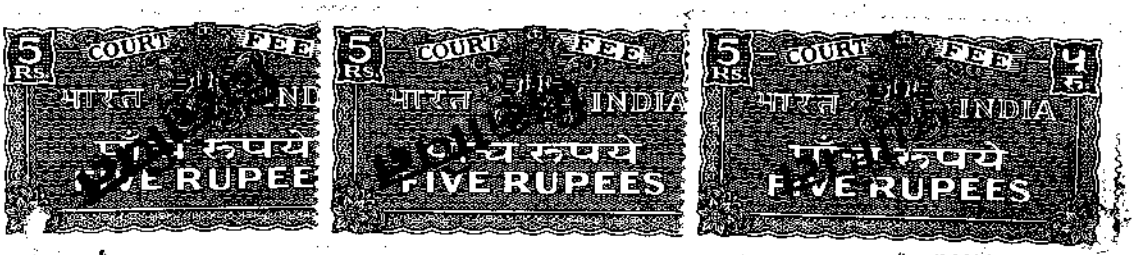

(17)

5 Rs. COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 Rs. COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 Rs. COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय :- श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक आर----/ 2004

R 1039-PBR/2004

श्री ... द्वारा आज दि. 28/8/04 को प्रस्तुत।

अवर सचिव राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

28 AUG 2004

रघुनाथ पुत्र रामधन जाति गू0ठा0 निवासी ग्राम बरेण्डा परगना व जिला मुरैना --- आवेदक

बनाम्

1- तुहीराम पुत्र हरविलास जाति गू0ठा0 निवासी ग्राम बरेण्डा परगना व जिला मुरैना

-- असल अनावेदक

2- वासुदेव

3- बनवारी

4- अनी बहादुर

5- भूरा पुत्रगण श्री अजबसिंह जाति गू0ठा0 निवासी ग्राम बरेण्डा परगना व जिला मुरैना

6- भूरी पुत्री अजबसिंह जाति गू0ठा0 निवासी ग्राम झलिया हाल निवासी नैनागढ रोड मुरैना तहसील व जिला मुरैना म0प्र0

7- महादेवी पत्नी रामप्रकाश जाति गू0ठा0 निवासी ग्राम चूरबसई परगना व जिला मुरैना

---तरतीबी अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 22-7-2004 न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण क्रमांक- 145/2002-2003 अपील/निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0 राजस्व संहिता 1959

XXXIx(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 1039–पीबीआर/2004 निगरानी जिला मुरैना

दिनांक तथा क्रमांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों / अभिभाषकों के हस्ताक्षर
6-6-16	यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 145/2002–03 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 22–7–2004 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर भूमि क्रय उपरांत तहसील न्यायालय में नामान्तरण कार्यवाही हुई। तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण निराकृत हुआ, जिसके विरूद्ध अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील क्रमांक 145/2002–03 प्रस्तुत हुई। अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत अपील प्रकरण में दिनांक 22–7–2004 को अंतिम बहस सुनी जाना थी, किन्तु आवेदक ने उपस्थित होकर हितबद्ध होना बताते हुये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पक्षकार बनाने की मांग की, जिसे अपर आयुक्त ने अंतरिम आदेश दिनांक 22–7–2004 से निरस्त कर दिया एंव प्रकरण आदेश हेतु नियत कर दिया। इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है। 3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने । मूल अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है। शेष अनावेदकगण तरतीवी पक्षकार होने से सूचना आवश्यक नहीं।	

प्र0क01039–पीबीआर/2004 निग.

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से प्रकरण में विचार योग्य है कि क्या अपर आयुक्त व्दारा अंतिम बहस के दौरान आवेदक के पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन को अमान्य करने में त्रृटि की है ? स्थिति यह है कि जब आवेदक नामान्तरण कार्यवाही के दौरान तहसील न्यायालय में पक्षकार नहीं है एंव प्रथम अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पक्षकार नहीं है तब क्या ऐसे पक्षकार को अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 145/2002–03 अपील में अंतिम बहस के दिन प्रस्तुत आवेदन पर पक्षकार बनाया जा सकता है। जो व्यक्ति विचारण न्यायालय में पक्षकार नहीं है, प्रथम अपीलीय न्यायालय में पक्षकार नहीं रहा है ऐसे व्यक्ति को दित्तीय अपील में पक्षकार नहीं बनाया जा सकता, जिसके कारण अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 145/2002–03 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 22–7–2004 हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 145/2002–03 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 22–7–2004 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

सदस्य